राजस्थान सरकार
निदेशालय,कालेज शिक्षा ,राजस्थान ,जयपुर

क्रमांक एफ.3(अ.स.) स्था/एसीआर/निकाशि/12/879 दिनांक 2.7.12

1. समस्त प्राचार्य,
   राजकीय महाविद्यालय/राजकीय विधि महाविद्यालय
   राजस्थान
2. प्राचार्य,
   राजस्थान स्कूल आफ आर्टस/संगीत संस्थान, जयपुर।
3. समस्त सहायक निदेशक,
   क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान।

विषयः– समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा वर्ष 2010 एवं 2011 की अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भः– कार्मिक विभाग का परिपत्र क्रमांक प.13(76)का/क–1/गोप्र/2011 दिनांक 21.6.12

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 14.4.11 व 17.5.11 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों की वर्ष 2010 के लिए (दिनांक 1.1.11 की स्थिति में) एवं उसके पश्चातवर्ती वर्षों की अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक किये जाने का निर्णय लिया गया है। विभाग द्वारा इस बाबत आपको समय समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीन कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(76)का/क–1/गोप्र/ 2011 दिनांक 21.6.12 (प्रति संलग्न) के अनुसार पालना कर संलग्न निर्धारित प्रपत्र में वर्ष 2010 (1.1.2011 की स्थिति) की सूचना पत्र प्राप्ति के तीन दिवस में इस विभाग को भिजवायें। साथ ही आपके अधीन कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2011 के लिए (1.1.2012 की स्थिति में) अपना अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात ही माह जुलाई, 2012 में आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत की जावे। इसके लिए आप अपनी कार्यालय प्रति से भली भांति सुनिश्चित कर लेवें कि अधिकारी द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(सुबीर कुमार)
निदेशक

क्रमांक एफ.3(अ.स.) स्था/एसीआर/निकाशि/ निकाशि/12/880–883 दिनांक 2.7.12

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप–4) शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक/उप विधि परामर्शी/मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय
5. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, प्रभारी वेबसाईट को भेजकर लेख है विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग,

क्रमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 जयपुर, दिनांक 21 JUN 2012

समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव / उप शासन सचिव,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)

विषयः– समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा वर्ष 2010 एवं 2011 की अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने बाबत ।

महोदय,

मैं आपका ध्यान इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./11 दिनांक 14.04.2011 एवं 17.5.2011 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिनके द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों की वर्ष 2010 के लिए (दिनांक 1.1.2011 की स्थिति में) एवं उसके पश्चातवर्ती वर्षों की अचल सम्पति विवरण सार्वजनिक किए जाने का निर्णय लिया गया है । जो राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दिये जाने एवं पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने तथा अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही उन्हें आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

अधिकांश राजपत्रित अधिकारियों के वर्ष 2010 के लिए (दिनांक 1.1.2011 की स्थिति में) अचल सम्पति विवरण प्राप्त हो गये है परन्तु कुछ राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये है एवं उनको वेतनवृद्धि स्वीकृत कर दी गई है जो राज्यादेशों की अवहेलना है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्रों में निर्देशित किये गये अनुसार आपके अधीन कार्यरत राज्य सेवा/अधीनस्थ सेवाओं के किन–किन राजपत्रित अधिकारियों द्वारा वर्ष 2010 (दिनांक 1.1.2011 की स्थिति में) अपना अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, एवं उनको वेतनवृद्धि स्वीकृत कर दी गई है, उनका नाम एवं पदनाम से सम्बधित सूचना इस विभाग को पत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित प्रपत्र में अविलम्ब प्रेषित करने साथ ही आपके अधीन कार्यरत राज्य सेवा/अधीनस्थ सेवा के राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2011 के लिए (दिनांक 1.1.2012 की स्थिति में) अपना अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात ही माह जुलाई 2012 में आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु कृपया सुनिश्चित करें।

भवदीय,

21.6.2012
प्रमुख शासन सचिव

विभागाध्यक्षों के अधीन कार्यरत राज्य सेवा/अधीनस्थ सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों का नाम/पदनाम जिन्होने अपनी अचल सम्पति विवरण अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है एवं वेतनवृद्वि स्वीकृत की गई है का विवरणः—

विभाग का नाम...

क.सं.	नाम	जन्म तिथि	पदनाम	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5